न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 35/2024 बउनवानी रईस खान बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर
पुत्र श्री नामदार खान ग्राम व पोस्ट व तहसील मलारना डूँगर **GCMS No-2024/78**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
6.9.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 29.4.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का पत्रांक 1166 दिनांक 13.9.2023 के पत्र के अनुसरण मे उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.16(1)/आरटीआई/अपील/2024/334 दिनांक 18.7.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 29.4.2024 मे चाही गयी सूचना (तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 2016 दिनांक 19.10.2023 से उपजिला कलेक्टर को भिजवायी गयी जॉच रिपोर्ट) उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के पृष्ठांकन 335 दिनांक 18.7.29024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। भी अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.4.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Khushaal Yadav Date: 2024.09.26 15:46:04 IST Reason: SelfAttested (डॉ0खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner